कृषि विपणन आधारिक संरचना, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना

- मुख्य विशेषताएं
- कृषि विपणन आधारिक संरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य
- योजना की मुख्य विशेषताएं
- सब्सिडी
- सहायता पैटर्न
- नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वितीय सहायता
- अन्य शर्तें
- संस्थागत ऋण
- परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा
- परियोजना की मंजूरी और सब्सिडी जारी करने हेतु अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया
- मॉनिटरिंग
- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की एगमार्क प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण
- सामान्य जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अनुलग्नक-**I** : ५० प्रतिशत अग्रिम सब्सिडी/पुनर्वित्तीय प्रबंध के लिए परियोजना रुपरेखा व मांग प्रपत्र का प्रारुप
- अनुलग्नक-**II** : सब्सिडी की अंतिम किस्त की मांग के लिए प्रपत्र
- अनुलग्नक-**III** : उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए फार्मेट
- अनुलग्नकः **IV&V** : कृषि विपणन आधारिक संरचना श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण योजना की प्रगति
- अनुलग्नक-**VI** : संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र
- अनुलग्नक-**VII** : विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय/उपकार्यालयों की सूची पतों सहित

मुख्य विशेषताएं

*   सुधार संयोजित निवेश योजना :   कृषि और सहगामी क्षेत्रों (डेरी, मांस, मछली-   पालन   तथा गौण वन उत्पाद सहित) में आधारिक संरचना परियोजनाओं के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करना ।

*   निवेश सब्सिडी :   उत्पादकों/कृषक समुदायों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन/उपज के विपणन में 'डायरेक्ट' सेवा प्रदान करने वाली प्रत्येक परियोजना पर ५०   लाख तक के पूंजीनिवेश पर २५% । पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और जनजाति क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों को ६० लाख रूपये तक के पूंजी निवेश पर ३३.३३% की सब्सिडी दी जाएगी ।

राज्य एजेन्सियों की आधारिक संरचना परियोजनाओं के संदर्भ में सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

शर्तें :

*   यह योजना केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगी जो 'प्रत्यक्ष विपणन' और 'संविदा कृषि' की अनुमति देने तथा निजी और सहकारी क्षेत्रों में कृषि उपज मंडियों की अनुमति देने के लिए कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम में सुधार करेंगे ।

*   परियोजना लागत में प्रोत्साहक का अंशदान वित्तदाता बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसमें सामान्य मामलों में बैंक लोन ५०% रहेगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों आदि में यह ४६.६७% होगा ।

आधारिक संरचना परियोजनाओं की विस्तृत सूची

*   मंडी प्रयोगकर्ता के लिए सामान्य सुविधाएं यथा मंडी अहाता, उपज लादने, एकत्र करने तथा नीलामी के लिए चबूतरा, तोलने तथा यांत्रिक संभलाई उपस्कर ।

*   माल एकत्र करना, श्रेणीकरण, मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, लेबलिंग, पैकेजिंग, मूल्य बढ़ाने की सुविधाएं(उत्पाद का रूप परिवर्तित किए बिना) के लिए कार्यात्मक कार्ययोजना ।

*   उत्पादकों से उपभोक्ता/प्रसंस्करण इकाइयों/अंबार क्रेताओं (एद्वथ्त्र एद्वन्ड्डद्धद्म) इत्यादि तक प्रत्यक्ष विपणन के लिए आधारिक संरचना ।

*   ई-व्यापार, मंडी विस्तार और मंडी प्रधान उत्पादन योजना के लिए आधारिक संरचना ।

*   फसल कटाई के बाद के कार्यों अर्थात् श्रेणीकरण, पैकेजिंग, गुणवत्ता परीक्षण इत्यादि (यातायात उपस्करों को छोड़कर) के लिए सचल आधारिक संरचना ।

कृषि विपणन आधारिक संरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना

१. पृष्ठभूमि

फसल कटाई के बाद विभिन्न कृषि उत्पादों/विपण्य अधिशेष के प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विपणन आधारिक संरचना के विकास हेतु यह योजना तैयार की गई है । कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अनुमान लगाया है कि कृषि विपणन में आधारिक संरचना के विकास के लिए अगले दस वर्षों में ११,१७२ करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता होगी । इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से प्राप्त होने की उम्मीद है जिसके लिए एक उपयुक्त विनियामक और नीतिपूर्ण वातावरण आवश्यक है । कृषि विपणन (एपीएमसी ऐक्ट) से संबंधित राज्य अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों में आशोधन करने और मंडी विकास तथा संविदा कृषि में निजी क्षेत्र के लिए कानून सम्मत स्थान बनाने की आवश्यकता पर विभाग में कई बार विचार-विमर्श हो चुका है । यह योजना सुधार से संबंधित है और आधारिक संरचना परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाएगी जो प्रत्यक्ष विपणन एवं संविदा कृषि की अनुमति और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना की अनुमति देते हैं ।

२. उद्देश्य

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) डेरी, मुर्गीपालन, मछली पालन, पशुधन और गौण वन उपज सहित कृषि और सहगामी वस्तुओं के भारी मात्रा में विपण्य अधिशेष की संभावना को ध्यान में रखते हुए उसके प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कृषि विपणन आधारिक संरचना की व्यवस्था करना ।

(ii) निजी और सहकारी क्षेत्रों द्वारा निवेश का प्रारंभ करके प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक कृषि विपणन आधारिक संरचना को प्रोत्साहित करना जिसमें उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता के लिए प्रोत्साहन होगा और उससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी ।

(iii) निपुणता बढ़ाने के लिए विद्यमान कृषि विपणन आधारिक संरचना का सुदृढ़ीकरण ।

(iv) प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देना ताकि बिचौलियों और संभलाई चैनल में कमी आए, मंडी दक्षता बढ़े और किसानों की आमदनी में वृद्धि हो ।

(iv) कृषि उपज के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए आधारिक संरचना सुविधाओं की व्यवस्था करना ताकि किसानों को उपज की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य मिल सके ।

(v) प्रतिभूति वित्त प्रबंधन और विपणन ऋण, बेचनीय मालगोदाम रसीद प्रणाली की शुरूआत, वायदा और भावी मंडियों के प्रोत्साहन पर विशेष जोर देने के लिए श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था को बढ़ावा देना ताकि मंडी व्यवस्था में स्थिरता आए और किसानों की आमदनी में वृद्धि हो ।

(vi) प्रसंस्करण यूनिटों और उत्पादकों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देना ।

(viii) श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन सहित कृषि विपणन पर किसानों, उद्यमियों और मंडी कर्मियों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करके
सामान्य जागरूकता पैदा करना ।

३. योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना सुधारों से जुड़ी है :

(i) यह योजना उन राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी जो प्रत्यक्ष विपणन एवं संविदा कृषि और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुसार कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम को संशोधित करते हैं ।

(ii) कृषि वस्तुओं के विपणन और विद्यमान थोक अथवा ग्रामीण आवधिक या जनजातीय क्षेत्रों की कृषि मंडियों के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण
के लिए सामान्य अथवा वस्तु विशिष्ट आधारिक संरचना की पूंजी लागत पर ऋण आधारित पश्च समायोजन सब्सिडी दी जाएगी ।

विपणन आधारिक संरचना

(iii) योजना के लिए आधारिक संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कोई एक समाविष्ट हो सकता है ।

(क) माल एकत्र करना, सुखाना, सफाई, श्रेणीकरण, मानकीकरण, एस पी एस (स्वास्थ्य संरक्षक एवं स्वास्थ्य पूरक उपाय, गुणवत्ता प्रमाणन, लेबलिंग, पैकेजिंग, पकाने के चैम्बर्स, खुदरा और थोक बिक्री, मूल्य बढ़ाने की सुविधाओं (उत्पादन का रूप बदले बिना) इत्यादि के लिए कार्यात्मक आधारिक संरचना ।

(ख) परियोजना क्षेत्र में मंडी प्रयोगकर्ताओं के लिए सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे दुकान/कार्यालय, लदान/उतराई/उपज को इकट्ठा करने एवं नीलामी के लिए चबूतरा, पार्किंग रोड़, आन्तरिक सड़कें, कूड़ा फेंकने की व्यवस्था, चहारदीवारी, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था, तुलाई और यांत्रिक संभलाई उपस्करों की व्यवस्था ।

(ग) उत्पादकों से उपभोक्ताओं/प्रसंस्करण इकाइयों/अंबार क्रेताओं (Bulk buyers) तक कृषि वस्तुओं के प्रत्यक्ष विपणन के लिए आधारिक संरचना की स्थापना ।

(घ) किसानों की उत्पादन इनपुट और आवश्यकता आधारित सेवाओं की आपूर्ति के लिए आधारिक संरचना की व्यवस्था ।

(ड़) ई - व्यापार, मंडी आसूचना, विस्तार और मंडी प्रधान उत्पादन योजना के लिए आधारिक संरचना (उपस्कर, हार्डवेयर, गैजिट (Gadget) आदि ।

(च) इस योजना के अन्तर्गत फसलोपरान्त कार्यों (परिवहन उपस्कर को छोड़कर) चल आधारिक संरचना के लिए भी सहायता दी जाएगी ।

पात्र व्यक्ति

(IV) देश भर में एकल व्यक्ति, कृषक/उत्पादक/उपभोक्ता समूह, साझेदारी/स्वामित्व फर्में, गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) स्वयं सहायता समूह (एस एच जी एस), कंपनियां, निगम,सहकारी समितियां, सहकारी विपणन संघ, स्थानीय निकाय, कृषि उपज विपणन समितियां और विपणन बोर्ड ।

(V) राज्य एजेंसियों की बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, जिनमें विद्यमान विपणन आधारिक संरचना के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित/सहवित्तपोषित परियोजनाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगी ।

भूमि तथा अवस्थिति

(VI) योजना के तहत उद्यमी आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर, अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर विपणन आधारिक संरचना परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है । तथापि परियोजना द्वारा उत्पादकों/कृषक समुदाय को, उपज के फसलोपरांत प्रबंधन/विपणन में डायरेक्ट सेवा प्रदान की जानी चाहिए ।

(VII) आधारिक संरचना परियोजना में भूमि की लागत, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के अधिकतम १०ऽ तक और नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम २०% तक सीमित रहेगी तथा इसे परियोजन के मालिक का अंशदान समझा जाएगा ।

(VIII) उद्यमी ऋण की अवधि के दौरान भूमि को उस उद्देश्य के अलावा जिसके लिए ऋण स्वीकृत हुआ है, किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाएगा ।

ऋण आधारित सहायता

योजना के अधीन सहायता ऋण पर आधारित है और उन आधारिक संरचना परियोजनाओं के लिए है जिनकी स्वीकृति, आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर वाणिज्यिक/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई हो ।

(IX) योजना के तहत दी जाने वाली सहायता केवल परियोजना की पूंजीगत लागत पर ही देय होगी । तथापि, बैंक/राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन सी डी सी), किसानों/उद्यमियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य क्रियाकलापों/कार्यशील पूंजी हेतु वित्तपोषण के लिए स्वतंत्र होगा ।

(X)

(XI)

सब्सिडी

(XI) सब्सिडी की दर परियोजना की पूंजीगत लागत का २५% होगी । पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों के लिए यह दर परियोजना की पूंजीगत लागत का ३३.३३% होगी ।

(XII) सब्सिडी की अधिकतम राशि प्रत्येक परियोजना के लिए ५० लाख रूपए तक सीमित होगी । पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों के लिए सब्सिडी की राशि प्रत्येक परियोजना के लिए ६० लाख रूपये तक सीमित होगी ।

(XIII) राज्य एजेन्सियों की आधारिक संरचना परियोजनाओं के लिए, योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

(XIV) परियोजना या उसके किसी घटक के लिए किसी अन्य केन्द्रीय योजना से प्राप्त की गई केन्द्रीय सहायता/सब्सिडी की राशि, इस योजना के तहत स्वीकार्य सब्सिडी राशि में से घटा दी जाएगी ।

सब्सिडी जारी करना

(XV) इस योजना के तहत उन परियोजनाओं के लिए सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से दी जाएगी जिनका वित्तपोषण वाणिज्यिक, सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि विकास वित्तपोषण कंपनी (ए डी एफ सी), अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक (पी सी बी), पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम एन ई डी एफ आई) और नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण के लिए पात्र अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है । एन सी डी सी या एन सी डी सी द्वारा मान्यता प्राप्त सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए सब्सिडी एन सी डी सी के माध्यम से और इसके पात्रता दिशा निर्देशों के अनुसार दी जाएगी ।

ऋणी के खाते में सब्सिडी का समायोजन :

(XVI) एकल परियोजना के लिए बैंक/एन०सी०डी०सी० को दी गई सब्सिडी ऋणी के अलग- अलग खाते में रखी जाएगी । सब्सिडी का समायोजन अन्त में किया जाएगा । तदनुरूप सब्सिडी राशि सहित लेकिन लाभ प्राप्त करने वाले उद्यमी के सीमांत आर्थिक अंशदान को छोड़कर कुल परियोजना बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी । ऋण की राशि पर प्रतिसंदाय सूची इस प्रकार तैयार की जाएगी कि ब्याज सहित कुल बैंक ऋण की राशि, सब्सिडी की राशि से समायोजित हो जाए । वित्तपोषक बैंक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह नाबार्ड/एनसीडीसी की सिफारिश और प्रधान कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अनुमोदन के बिना, परियोजना की स्वीकृति के समय निर्धारित की गई प्रतिसंदाय सूची में परिवर्तन करे ।

सब्सिडी की राशि पर कोई ब्याज नहीं

(XII) योजना के तहत प्रवर्तक के लिए स्वीकार्य सब्सिडी की राशि वित्तपोषक बैंक के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में (प्रत्येक ऋणी का अलग-अलग) रखी जाएगी । इस राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं लगेगा । इस प्रकार सब्सिडी राशि को छोड़कर, सिर्फ ऋण की राशि पर ब्याज लिया जाएगा । अतः एस०एल०आर०/सी०आर०आर० के लिए सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में बची शेष राशि पर मांग एवं समय-सीमा लागू नहीं होगी ।

(XVIII) दसवीं योजना के अन्तर्गत, विपणन आधारिक संरचना के लिए १७५ करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता से यह स्कीम २०.१०.२००४ से प्रारंभ होकर २००४-०५, २००५-०६ और २००६-०७ के दौरान कार्यान्वित की जाएगी । इसके अतिरिक्त एगमार्क प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, सामान्य जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अध्ययन इत्यादि के लिए केन्द्र की ओर से १५ करोड़ रूपये का प्रावधान है ।

कार्यान्वयन एजेन्सी

(XIX) यह योजना विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी०एम०आई०) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जो कृषि एवं सहकारिता विभाग का संबद्ध कार्यालय है । डी०एम०आई० के क्षेत्रीय/उप कार्यालयों की सूची अनुलग्नक VII पर दी गई है ।

४. सहायता पैटर्न

(i) बैंक/नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए

निधीयन पैटर्न

वित्त स्रोत	पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर	पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और जनजाति क्षेत्र* /अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों के लिए
केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी	२५%	३३.३३%
वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों इत्यादि से संस्थागत ऋण	न्यूनतम ५०%	न्यूनतम ४६.६७ %
मालिक का अंशदान**	शेष परियोजना लागत	शेष परियोजना लागत

* पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत के स्थान आते हैं जो माध्य समुद्रतल से १००० मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं ।

* जनजातीय क्षेत्र वे हैं जिन्हें केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो ।

** ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की लागत के १०% से अधिक नहीं और नगरपालिका क्षेत्रों में भूमि की लागत के २०% से अधिक नहीं । परियोजना लागत को मालिक का अंशदान समझा जा सकता है ।

जारी करने का तरीका

(क) सब्सिडी की ५०% कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नाबार्ड को पहले ही प्रदान कर दी जाएगी । तदनुसार, नाबार्ड द्वारा सहभागी बैंको को सब्सिडी पहले ही दे दी जाएगी ताकि वे उसे संबंधित कर्जदारों के सब्सिडी रिजर्व फंड एकाउंट में रख सकें । यह राशि परियोजना की समाप्ति पर बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि के साथ अंतिम रूप में समायोजित की जाएगी । ५०% सब्सिडी की यह राशि नाबार्ड द्वारा, सहभागी बैंकों को प्रोजेक्ट प्रोफाइल एवं दावा फार्म प्रस्तुत करने पर दी जाएगी ।

(ख) सब्सिडी की शेष ५०% राशि नाबार्ड द्वारा सहभागी बैंक/बैंकों को तब संवितरित की जाएगी जब नाबार्ड, सहभागी बैंक और संबंधित राज्य में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी०एम०आई०) के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण कर लिया जाए ।

(ii) एन सी डी सी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए

निधीयन का तरीका

पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की सहकारी समितियों को छोड़कर सभी राज्यों में

एन सी डी सी से राज्य सरकार को			राज्य सरकार से सोसाइटी को		
आवधिक ऋण	-	६५%	आवधिक ऋण*	-	५०%
सब्सिडी	-	२५%	शेयर पूंजी*	-	१५%
			सब्सिडी*	-	२५%
			सोसाइटी शेयर	-	१०%

पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की सहकारी समितियों के लिए

एन सी डी सी से राज्य सरकार को			राज्य सरकार से सोसाइटी को		
आवधिक ऋण	-	५६.६७%	आवधिक ऋण*	-	५०%
सब्सिडी	-	३३.३३%	शेयर पूंजी*	-	०६.६७%
			सब्सिडी*	-	३३.३३%
			सोसाइटी शेयर	-	१०.००%

* न्यूनतम आवधिक ऋण ५०% (आवधिक ऋण में वृद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात में राज्य सरकार की शेयर पूॅजी परिवर्तित होगी ।

सहकारी बैंकों के माध्यम से/सहकारी समितियों को सीधे

वित्तीय स्रोत	पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के अलावा	पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय तथा जनजातीय* क्षेत्र और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समितियां
सरकारी से सब्सिडी	२५%	३३.३३%
आवधिक ऋण	न्यूनतम ५०%	न्यूनतम ५०%
प्रोत्साहक का अंशदान**	शेष परियोजना लागत	शेष परियोजना लागत

* पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत वे स्थान आते हैं जो माध्य समुद्रतल से १००० मीटर की ऊॅंचाई पर स्थित हैं ।

* जनजातीय क्षेत्र वे हैं जिन्हें केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

** ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की लागत के १०% से अधिक नहीं और नगर पालिका क्षेत्रों में भूमि के लागत के २०% से अधिक नहीं । परियोजना लागत को मालिक को अंशदान समझा जा सकता है ।

जारी करने का तरीका

सभी राज्यों के मामले में

- सहायता राज्य सरकार की गारंटी पर प्रदान की जाती है ।

- स्वीकृत सहायता की ५८ राशि भुमि के अनुमोदन और अधिग्रहण तथा राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी को फंड दिए जाने के उपरांत प्रदान की जाएगी । स्वीकृति सहायता का शेष ५०% राज्य सरकार द्वारा, शेयर पूँजी के रूप में,अपने शेयर सहित पूर्ण सहायता प्रदान करने के और निर्माण कार्य प्लिन्थ स्तर तक पहुँचने के उपरांत (जहां निर्माण कार्य परियोजना का हिस्सा हो) और कार्यस्थल पर मशीनरी/उपस्कर पहुंच जाने के बाद प्रदान किया जाएगा ।

संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में

उपर्युक्त पैटर्न पर केन्द्र सरकार की गारंटी पर सहायता सीधे सोसाइटी को प्रदान की जाती है ।

राष्ट्रीय स्तर/बहुराज्यीय सोसाइटियों/अन्य सोसाइटियों के मामले में

अचल संपात्तियों के बंधक रखे जाने पर सहायता सीधे समिति को प्रदान की जाती है ।

ध्यान देने योग्य बातें

(क) सब्सिडी (२५% या ३३.३३%जैसा भी मामला हो) स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन होगी । तदनुसार आवधिक ऋण की मात्रा बढाई जा सकती है

(ख) सोसाइटी का न्यूनतम शेयर, लागत का १०% होगा। सोसाइटियां यदि १०% से अधिक अंशदान देने में समर्थ हों तो आवधिक ऋण/राज्य सरकार शेयर पूंजी की मात्रा को तदनुसार घटाया जा सकता है ।

(ग) निर्माण अवधि के दौरान आर्थिक सहायता ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी और गोदामों का निर्माण कार्य एन सी डी सी की संतुष्टि के अनुरूप पूरा होने पर उसे आर्थिक सहायता में परिवार्तित कर दिया जाएगा।

५. संस्थागत ऋण

(क) पात्र वित्तीय संस्थान

योजना के तहत पात्र वित्तीय संस्थान हैं –

(i) कमार्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी), राज्य सहकारी बैंक (एस एस बी), राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(एस सी ए आर डी बी), कृषि विकास वित्त कंपनियां (ए

डी एफ सी), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन ई डी एफ आई), और अन्य ऐसे संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंधन के लिए पात्र होंगे ।

(ii) पात्रता दिशानिर्देशों के अनुरूप एन सी डी सी से मान्यता प्राप्त सहकारी समितियां और सहकारी बैंक

(ख) आवधिक ऋण

परियोजना लागत का न्यूनतम ५०% पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों के लिए ४६.६७% वित्तीय बैंकों से आवधिक ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि सब्सिडी पश्च

समायोजनीय होती है, अतः सब्सिडी की देय राशि (२५% / 33.33%) प्रारंभ में लाभार्थी को आवधिक ऋण के रूप में दी जाएगी । प्रतिसंदाय सूचि कुल ऋण राशि पर सब्सिडी सहित इस तरह तैयार की जाएगी कि सब्सिडी राशि शुद्ध बैंक ऋण (सब्सिडी को छोड़कर) के समापन के बाद समायोजित की जा सके ।

(i) प्रतिसंदाय अवधि नकदी प्रवाह पर निर्भर होगी और ११ वर्ष तक के लिए होगी जिसमें १ वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल होगी । प्रथम वार्षिक किस्त प्रथम संवितरण की तारीख से २४ माह बाद देय होगी ।

(ii) ऋणियों के लिए आवधिक ऋण पर ब्याज दर आर०बी०आई० के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक (या लीड बैंक) के पी०एल०आर० पर होगी । ब्याज ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से देय होगा ।

(iii) वित्तीय संस्थान उद्यमियों को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अलग से भी कार्यपूंजी प्रदान कर सकते हैं ।

(iv) ऋण की अवधि, इसके प्रतिसंदाय, विलंबन, ब्याज दर इत्यादि के लिए एन०सी०डी०सी० अपने मानदंडों का अनुपालन कर सकती है ।

(v)

६. परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा

वित्तीय संस्था द्वारा ऋण की प्रथम किस्त के संवितरण की तारीख से १८ महीने निर्धारित की गई है ।

तथापि, कुल २ करोड़ रूपए या इससे अधिक परिव्यय वाली एकीकृत बड़ी समन्वित कृषि विपणन आधारिक संरचना परियोजनाएं जिनमें चरणबद्ध रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता हो, वहां परियोजना के समापन के लिए, वित्तपोषक संस्था द्वारा ऋण की पहली किस्त दिए जाने की तारीख से अधिकतम ३६ महीने की समय-सीमा दी जा सकती है ।

यदि परियोजना निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिला पाएगा और अग्रिम सब्सिडी तुरंत वापिस करनी होगी ।

६. नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वितीय सहायता

कृषि विपणन आधारिक संरचना परियोजनाओं के लिए नाबार्ड व्यावसायिक बैंक/आर०आर०बी०/ए०डी०एफ०सी०/एस०सी०बी०एस०/एस०सी०ए०आर०डी०बी० और ऐसी अन्य पात्र संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रबंधन करेगा लेकिन इन बैंकों द्वारा दी गई राशि का ९०% आवधिक ऋण के रूप में होगा । तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, एस०सी०ए०आर०डी०बी० के मामले में पुनर्वित्तप्रबंधन की राशि ९५% होगी । पुनर्वित्तप्रबंधन पर ब्याज की दर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी । वर्तमान में यह दर ६.७५% वार्षिक है ।

७. अन्य शर्तें

(i) योजना के तहत परियोजनाओं को वित्तप्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना समझा जाए ।

(ii) सहभागी बैंक/एन०सी०डी०सी०/नाबार्ड आदि परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अपने नियमों का पालन करेंगे ।

(iii) परियोजना यूनिट का बीमा करवाने की जिम्मेदारी परियोजना के मालिक की होगी ।

(iv) परियोजना स्थल पर "कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की कृषि विपणन आधारिक संरचना योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त"नामपट्ट प्रदर्शित होगा ।

(v) विभिन्न निबंधनों की सरकार की व्याख्या ही अंतिम व्याख्या होगी ।

(vi) संयुक्त निरीक्षण समिति के निरीक्षणों के अलावा जब कभी आवश्यक हो, भौतिक, वित्तीय और संरचनागत प्रगति के सत्यापन के लिए पूर्व और पश्च निरीक्षण किया जा सकता है ।

(vii) बिना कोई कारण बताए सरकार किसी भी शर्त को संशोधित करने, उसमें कुछ जोड़ने और उसमें से कुछ समाप्त करने का अधिकार रखती है ।

(viii)
(ix)
(x)
(xi)

८. परियोजना की मंजूरी और सब्सिडी जारी करने हेतु अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया

बैंक/नाबार्ड द्वारा वित्तप्रबंधित परियोजनाएं

(क) इच्छुक प्रोत्साहक संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर परियोजना रिपोर्ट और ऋण के मूल्यांकन तथा मंजूरी के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित बैंक को आवधिक ऋण तथा सब्सिडी के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । प्रोत्साहक, प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक vii पर दी गई, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के उप/क्षेत्रीय कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी ।

(ख) ऋण की प्रथम किस्त के मूल्यांकन, मंजूरी और संवितरण के बाद बैंक अनुलग्नक-vii पर दी गई सूची के अनुसार विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के उप कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय को एक प्रति देते हुए, बैंक के स्वीकृति पत्र सहित, क्षेत्रीय कार्यलय नाबार्ड को, अनुलग्नक-। पर दिए गए विहित प्रपत्र में, अग्रिम सब्सिडी के लिए संक्षिप्त परियोजना रूपरेखा व मांग-प्रपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(ग) नाबार्ड, सहभागी बैंक से परियोजना रूपरेखा व मांग प्रपत्र प्राप्त करने पर, सहभागी बैंक को मंजूरी और ५०% अग्रिम सब्सिडी को सहायता आरक्षित निधि (ऋणीवार) में रखने के लिए मंजूरी प्रदान करेगा ।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा नाबार्ड को प्रदान की गई अग्रिम सब्सिडी की पुर्नपूर्ति अथवा समायोजन के लिए नाबार्ड अनुलग्नक ६ में दर्शाए गए मांग पत्र की एक प्रति विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के प्रधान कार्यालय को परियोजनावार अग्रेषित करेगा । नाबार्ड द्वारा जारी की गई सहायता विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय से उपलब्ध निधियों के अध्यधीन होगी ।

(घ) जब परियोजना पूरी होने को होती है, तब प्रोत्साहक बैंक को सूचित करेगा और बैंक, नाबार्ड तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा इस संबंध में निरीक्षण करवाए जाने संबंधी कार्रवाई करेगा कि परियोजना तकनीकी और वित्तीय मानदंडों को पूरा करती है । संयुक्त निरीक्षण पूरा होने पर बैंक अनुलग्नक II में दिए गए विहित प्रपत्र में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय/उप कार्यालय को एक-एक प्रति भेजते हुए, अंतिम सब्सिडी के लिए नाबार्ड को तीन प्रतियों में मांग प्रपत्र प्रस्तुत करेगा । अंतिम सब्सिडी के लिए मांग प्रपत्र के साथ संयुक्त समिति की निरीक्षण रिपोर्ट और समापन प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए । नाबार्ड, बैंकों को अंतिम सब्सिडी जारी करेगा जिसकी पुर्नपूर्ति विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा की जाएगी अथवा नाबार्ड को पहले प्रदान की गई सब्सिडी राशि के साथ उसका समायोजन किया जाएगा ।

एन सी डी सी द्वारा वित्त प्रबंधित परियोजनाएं

(क) एन.सी.डी.सी. कृषि विपणन आधारिक संरचना के विकास के लिए सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी ।

(ख) सहकारी समितियां, प्रस्तावों को, एन०सी०डी०सी० के विहित प्रपत्र में व्यवस्थित करके उसे आर०सी०एस०/राज्य सरकार को, या अगर समितियां बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत हों तो सीधे एन०सी०डी०सी० को भेजेंगी ।

(ग) आर०सी०एस०/राज्य सरकार उस प्रस्ताव को जांच करने के पश्चात् एन०सी०डी०सी० के विचारार्थ अनुशंसित कर देगी ।

(घ) एन०सी०डी०सी०, दी गई सहायता राशि के अनुरूप टेबल/क्षेत्र मूल्यांकन करते हुए उन प्रस्तावों पर विचार करेगी ।

(ड़) एन०सी०डी०सी० अपनी स्वीकृति राज्य सरकार को सम्प्रेषित करेगी और तदनुरूप राज्य सरकार समितियों को प्रतिस्वीकृति जारी करेगी ।

(च) निधीयन, ब्याज दर तथा स्वीकृत सहायता प्रदान करने की विधि, एन०सी०डी०सी० द्वारा समय-समय पर परिचालित मानदंडों और नीतियों के अनुरूप होगी ।

(छ) स्वीकृत सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से समितियों को दी जाएगी ।

(ज) राज्य सरकारें समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट एन०सी०डी०सी० को भेजेंगी और एन०सी०डी०सी० उस रिपोर्ट को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को भेजेगी ।

(झ) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एन०सी०डी०सी० के खाते में पार्किंग के लिए एडवान्स सब्सिडी जारी करेगा । सब्सिडी का परियोजनावार समायोजन/पुर्नपूर्ति विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाएगा ।

(त्रं) एन०सी०डी०सी० उपयोगिता प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को भेजेगी ।

(ट) एन०सी०डी०सी० और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय समाप्त परियोजनाओं की उपयोगिता की जांच के लिए यादृच्छिक निरीक्षण कर सकते हैं ।

९. मॉनिटरिंग

(क) परियोजनाओं का नियंत्रण विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा इसके क्षेत्रीय/उप कार्यालयों (अनुलग्नक VII पर सूची) के माध्यम से किया जाएगा और समीक्षा मासिक आधार पर नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. द्वारा की जाएगी ।

(ख) जैसा कि पैराग्राफ ९ (घ) में उल्लेख किया गया है, नाबार्ड, एन.सी.डी.सी., सहभागी बैंकों के अधिकारियों की संयुक्त निरीक्षण समिति जैसा भी मामला हो और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उपरोक्त योजना के संचालन दिशा-निर्देशों के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में परियोजना कार्य का निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक VI में प्रस्तुत करेगा जो कि अनुलग्नक II के साथ संलग्न होनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए प्रोत्साहक/सहभागी बैंक/नाबार्ड परियोजना स्थल पर समिति द्वारा उस समय निरीक्षण करवाने के लिए, जब परियोजना पूरी हो गई हो, आवश्यक कार्रवाई करेगा ताकि सब्सिडी के जारी करने/समायोजन में किसी भी प्रकार के विलम्ब से बचा जा सके ।

(ग) ऋणी की आरक्षित निधि में सब्सिडी की अंतिम किस्त का आकलन करने के बाद सहभागी बैंक द्वारा नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. को जैसा भी मामला हो, इस आशय से अनुलग्नक क्षक्ष के अनुसार एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि उनके द्वारा प्रदत्त की गई सब्सिडी की राशि को योजना के सभी दिशा-निर्देशों में परियोजना की स्वीकृत शर्तों के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों में पूर्णतः प्रयुक्त/समायोजित किया गया है ।

(घ) अनुलग्नक IV और V के प्रारूपों के अनुसार योजना की प्रगति रिपोर्ट/नाबार्ड/ एन.सी.डी.सी. द्वारा मासिक आधार पर सीधे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

(ड़) नाबार्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करेगा ताकि योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करने में और पुनर्वित्त प्रबंधन/सब्सिडी राशि जारी करने में शीघ्रता की जा सके ।

१०. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की एगमार्क प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण

केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर और ८ क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशालाओं को अपेक्षित वैज्ञानिक उपकरण और सहायक सुविधाएं प्रदान करके उन्नत किया जाएगा । उन्नयन के बाद ये प्रयोगशालाएं कोडेक्स आवश्यकताओं के अनुसार गुण जांच करेंगी और इन्हें राष्ट्रीय जांच एवं अंशाकन प्रयोगशालाएं प्रत्यायन

(Accreditation) बोर्ड (एन.ए.बी.एल) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ प्रत्यायित किया जाएगा ।

१२. सामान्य जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम

आधारिक संरचना परियोजना और श्रेणीकरण तथा मानकीकरण सहित कृषि विपणन में कृषकों, मंडी कर्मियों और उद्यमियों के लिए सामान्य जागरूकता, प्रचार और प्रशिक्षण कार्यक्रम, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे ।

अनुलग्नक-I

५० प्रतिशत अग्रिम सब्सिडी/पुनर्वित्तीय प्रबंध के लिए परियोजना रुपरेखा व मांग प्रपत्र का प्रारुप

(बैंक द्वारा नाबार्ड को तीन प्रतियों में तथा डी.एम.आई. को एक प्रति में प्रस्तुत करने के लिए)

सेवा में,

(१) क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड,

(२) क्षेत्रीय/उपकार्यालय, (संलग्न कार्यालय पतों की सूची में से जो सबसे नजदीक हो)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

कृषि विपणन आधारिक संरचना, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना

भाग-I
(बैंक प्रयोग हेतु)

१. परियोजना का नाम और पता :

१. क क्या पूर्वात्तर राज्यों/पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात माध्य समुद्र तल १०० मीटर की ऊंचाई पर/जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित है :

२. प्रवर्तक का नाम और पता :

२. क. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/उनकी सहकारी समितियों से संबंधित है, यदि हां तो ब्योरा दें

ख. क्या राज्य एजेंसियों से संबंधित हैं :

३. वित्त प्रबंध करने वाले बैंक का नाम और पता :

४. प्रस्ताव/आवदेन प्राप्ति की तारीख :

५.(क) बैंक द्वारा आवधिक ऋण मंजूरी की तारीख :
(ख) प्रथम किस्त के संवितरण की तारीख :

६. वित्त का माध्यम

- कुल परिव्यय :
- प्रवर्तक का अंशदान :
- बैंक ऋण :

७. परियोजना के अधीन तैयार की जाने वाली आधारिक संरचना का संक्षिप्त ब्यौरा दें) घटकों का विवरण :

८. मदवार वित्तीय प्रक्षेपण :

९. कृपया बताएं कि परियोजा से उत्पादकों/कृषक समुदाय को उपज के फललोपरान्त प्रबंधन/विपणन के लिए ‘डायरेक्ट’ सेवा कैसे प्रदान की जाएगी :

१०. निर्धारित ब्याज दर
(क) सी.बी.एस. के मामले में %
(ख) एस.एल.बी.सी. के अन्य समन्वयक बैंक के मामलों में %

११. तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय व्यवहार्यता का संक्षिप्त विवरण
(परियोजना रिपोर्ट के साथ अलग से पेज संलग्न करें)

१२. अन्य सुसंगत सूचना यथा ली गई अनुमति/अनुमोदन इत्यादि :

१३. परियोजना का मूल्यांकन कर लिया गया है तथा तकनीकी तौर पर साध्य एवं वित्तीय तौर पर व्यवहार्य पाया गया । हम नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंधन चाहते हैं/नहीं चाहते हैं । पुनर्वित्त प्रबंधन की राशि रु० -------------------------------- (अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो)

१४. -------------रु० की राशि (------------------रुपए) जो कि सब्सिडी की वांछनीय राशि का ५० प्रतिशत है, परियोजना हेतु ‘सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में-ऋणीवार’ जमा करने के लिए जारी किया जाए ।

१५. हमें यह विदित है कि प्रतिसंदाय सूची में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । हमें यह भी विदित है कि परियोजना पूरा करने करने की समय सीमा परियोजना मंजूरी की तारीख से १८ माह निर्धारित की गई है । परियोजना पूरा होने में विलम्ब का कारण अगर न्यायसंगत है तो परियोजना को पूरा करने के लिए ६ महीने की अनुग्रह अवधि दी जा सकती है । यह भी विदित है कि परियोजना को निर्धारित अवधि के अंदर या योजना के व्यापक मानदंडों के अनुरुप पूरा नहीं किया जाता है तो दी गई अग्रिम सब्सिडी तुरंत वापस करनी होगी । पुनः यह भी विदित है कि सब्सिडी वापस करने में विलम्ब होने पर दंड स्वरुप ब्याज भुगतान करने की जिम्मेदारी भागीदार बैंक/लाभार्थी की होगी ।

स्थानः (.........................)

दिनांक: बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

भाग-II
(क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु)

(क) क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु

अग्रिम सब्सिडी
रु० ----------------------- की अग्रिम सब्सिडी जारी करने हेतु इसकी मांग अग्रेषित की जाती है ।

(.........................)
दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड

(ख) नाबार्ड के प्रयोग हेतु

योजना कोड
परियोजना कोड
राज्य कोड
बैंक कोड
जिला कोड

रु० ----------------------- की राशि अग्रिम सब्सिडी के तौर पर ------------- (बैंक का नाम) को जारी की जाती है । संवितरण परामर्श सं०------------ (प्रतिलिपि संलग्न) देखें । इस राशि की पुनपूर्ति/समायोजन कृपया डी.एम.आई. द्वारा किया जाएगा ।

(.........................)
दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड

(ग) प्रधान कार्यालय, डी.एम.आई. के प्रयोग हेतु

एतद्द्वारा उपर्युक्त मांग के लिए रु० --------------------- की राशि अग्रिम सब्सिडी के रुप में ----------- बैंक से निर्गत डी.डी. सं. -------------- दिनांक ---------- द्वारा नाबार्ड को प्रतिपूर्ति/समायोजित की जाती है ।

(.........................)

दिनांकः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
डी.एम.आई., प्रधान कार्यालय

अनुलग्नक-**II**

सब्सिडी की अंतिम किस्त की मांग के लिए प्रपत्र

(बैंक द्वारा नाबार्ड को तीन प्रतियों में तथा डी.एम.आई. को एक प्रति में प्रस्तुत करने हेतु)

सेवा में,
(१) क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड,
(२) क्षेत्रीय/ उपकार्यालय (संलग्न कार्यालय पतों की सूची में से जो सबसे नजदीक हो)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

भाग-I
(बैंक प्रयोग हेतु)

१. परियोजना का नाम, पता/स्थान :
२. प्रवर्तक का नाम और पता :
३. वित्त प्रबंधन करने वाले बैंक का नाम और पता :
४. बैंक द्वारा आवधिक ऋण मंजूरी की तारीख :
५. नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्रबंधन की मंजूरी की तारीख, यदि लागू हो :
६. नाबार्ड द्वारा जारी वित्त प्रबंधन की राशि और तारीख :
७. बैंक द्वारा परियोजना के अंतिम निरीक्षण की तारीख :
(निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
८. i) परियोजना की कुल लागत रु०
ii) प्रवर्तक का अंशदान रु०
iii) बैंक ऋण रु०

९. परियोजना के तहत सृजित सुविधाओं का
संक्षिप्त ब्योरा दें :
१०. अग्रिम सब्सिडी
i) प्राप्ति की तारीख :
ii) राशि :
११. वित्त प्रबंध करने वाले बैंक द्वारा लगाई
जाने वाली ब्याज दर

(क) सी.बी. पी.एल.आर. के मामले में :

(ख) अन्य मामलों में-एल.एल.बी.सी. के समन्वयक बैंकों के पी.एल.आर. :

१२. क्या परियोजना में परिकल्पित तकनीकी मापदंड के अनुसार आधारिक संरचना सुविधा का सृजन/सुदृढ़ीकरण हुआ है ?

१३. परियोजना में किए गये व्यय की कुल राशि-मदवार ब्यौरे, चार्टेड अकाउंटेंट से विधिवत प्रमाणित हों (चार्टेड अकाउंटेंट से प्राप्त सभी रसीदें और प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए)

१४. प्रवर्तकों द्वारा परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त की गई अनुज्ञा/अनुमोदन (इस प्रकार के प्रत्येक अनुमोदन की प्रति संलग्न की जाए)

१५. समापन/संचालन प्रमाण-पत्र प्रवर्तकों द्वारा हस्ताक्षरित हो और सुयोग्य/मान्य इंजीनियर/वास्तुकार से सत्यापित हो । इस प्रकार का प्रमाण-पत्र वित्त प्रबंध करने वाले बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो ।

चूंकि योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपरोक्त परियोजना पूरी हो गई है और परियोजना के अंतिम निरीक्षण की व्यवस्था हो गई है इसलिए कृपया रु० ---------------- (------------------- रुपए) की राशि जो कि सब्सिडी की अंतिम किस्त है ऋणीवार सब्सिडी आरक्षित निधि में जमा करने के लिए जारी की जाए ।

१६. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त निरीक्षण समिति के द्वारा की गई टिप्पणी का अनुपालन किया जा रहा है । संयुक्त निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

स्थानः

(........................)

दिनांकः शाखा प्रबंधक

(बैंक) के

हस्ताक्षर एवं मोहर

संलग्नकः समापन प्रमाण-पत्र, समिति की अनुज्ञप्ति निरीक्षण रिपोर्ट आदि ।

भाग-II
(क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु)

(क) क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु

रु० ---------------- की राशि ------------------(बैंक का नाम) की उपरोक्त मांग पर सब्सिडी की अंतिम किस्त के रुप में ------------------- (परियोजना का नाम) हेतु जारी की जाए ।

(.........................)

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड

(ख) प्रधान कार्यालय, नाबार्ड के प्रयोग हेतु

योजना कोड	परियोजना कोड
राज्य कोड	बैंक कोड
जिला कोड	

रु० ---------------------- की राशि अग्रिम सब्सिडी के तौर पर ------------- (बैंक का नाम) को जारी की जाती है । संवितरण परामर्श सं०----------(प्रतिलिपि संलग्न) देखें । इस राशि की पुनर्पूर्ति/समायोजन कृपया डी.एम.आई. द्वारा किया जाए ।

(.........................)

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रधान कार्यालय, नाबार्ड

(ग) प्रधान कार्यालय, डी.एम.आई. के प्रयोग हेतु

एतद्द्वारा उपर्युक्त मांग के लिए रु० -------------------- की राशि अग्रिम सब्सिडी के रुप में ----------- बैंक से निर्गत डी.डी. सं. -------------- दिनांक ------------- द्वारा नाबार्ड को प्रतिपूर्ति/समायोजित की जाती है ।

(.........................)

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

डी.एम.आई., प्रधान कार्यालय

अनुलग्नक-**III**

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए फार्मेट

(वित्त प्रबंधक बैंक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु)

कृषि विपणन आधारिक संरचना, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना

१. लाभार्थी और परियोजना का नाम, पता एवं अवस्थिति :

२. वित्त प्रबंधक बैंक का नाम :

३. वित्त प्रबंधक शाखा का नाम और पता :

४. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की तारीख :

५. संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की तारीख :

६. इकाई चालू करने की तारीख :

७. (i) कुल वित्तीय परिव्यय : रु०

(ii) सीमान्त धन : रु०

(iii) बैंक ऋण : रु०

(iv) प्राप्त सब्सिडी

	नाबार्ड से प्राप्त करने की तारीख	राशि (रु० में)	ऋणी के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में जमा करने की तारीख
(क) अग्रिम सब्सिडी का ५०%			
(ख) सब्सिडी की अंतिम किस्त			

८. क्षमता सहित सृजित सुविधाओं का संक्षिप्त ब्यौरा :

९. वित्त प्रबंधक बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर :

(क) सी.बी. के मामलों में - पी.एल.आर. - % प्रतिवर्ष

(ख) अन्य मामलों में - - % प्रतिवर्ष

एस.एल.बी.सी. के समन्वयक बैंकों के लिए पी.एल.आर.

१०. इस बैंक ने नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंध प्राप्त नहीं किया ।

११. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त सब्सिडी की पूरी राशि का पूर्णरुपेण उपयोग किया गया है ("ऋणीवार सब्सिडी आरक्षित निधि खाते" में जमा करते हुए) और योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना के लिए स्वीकृत शर्तों के अन्तर्गत इस राशि का समायोजन कर दिया गया है ।

स्थानः
दिनांकः

शाखा प्रबंधक (वित्त प्रबंधक बैंक)
के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुलग्नकः **IV&V**

कृषि विपणन आधारिक संरचना श्रेणीकरण एवं मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण योजना की प्रगति

स्वीकृत/लम्बित योजनाएं (सार)*
.... को स्थिति

क्र.सं.	राज्य	पार्टी का नाम	अवस्थिति	विकसित आधारिक संरचना सुविधाएं, क्षमता/बृहत विशिष्टयों सहित	स्वीकृत (टी.एफ.ओ.)	बैंक ऋण	प्रवर्तक का हिस्सा	कुल वांछनीय सब्सिडी	वित्तीय बैंकों को जारी सब्सिडी		
									अग्रिम सब्सिडी	अंतिम किस्त सब्सिडी	कुल सब्सिडी

- पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात समुद्र तल से १००० मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों और उनकी सहकारी समितियों हेतु स्वीकृत योजना के लिए उपर्युक्त सूचनाएं इसी प्रपत्र में अलग-अलग भरी जाए ।

अनुलग्नक-**vi**

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

(क) प्रोत्साहकों/उद्यमियों के नाम और पते :

(ख) संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य
(नाम, पदनाम और पता) :

i) नाबार्ड :
ii) वित्तीय बैंक
iii) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय :

(ग) i) परियोजना पूरी होने की तारीख :
ii) नाबार्ड और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को परियोजना को पूरा होने की सूचना देने की तारीख :
iii) संयुक्त निरीक्षण की तारीख :

(घ) परियोजना एक नजर में :

i) स्थान एवं सृजित सुविधाएं :
ii) वित्तप्रबंधक बैंक :
iii) कुल परियोजना लागत
iv) प्रदान किए गए आवधिक ऋण की राशि :
v) संवितरित ऋण की प्रथम किश्त की राशि और तारीख :
vi) जारी की गई सब्सिडी की प्रथम किश्त की राशि और तारीख :
vii) परियोजना में स्वामी की निधि :

(क) भूमि की कीमत से समायोजित :
(ख) नकद :

(ड़) i) क्या परियोजना को अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वित किया गया (विनिर्देशन आदि) :
ii) यदि नहीं, तो व्यतिक्रम निर्धारित करें :

(च) संयुक्त निरीक्षण समिति की सिफारिशें :
(छ) संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर एवं तारीख

१) नाबार्ड
२) वित्त प्रबंधक बैंक
३) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

अनुलग्नक-**VII**

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय/उपकार्यालयों की सूची पतों सहित

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केन्द्रीय पूल कार्यालय भवन,
चतुर्थ तल, ए विंग, डी.एफ. ब्लॉक,
सेक्टर-१, साल्ट लेक, कोलकाता-७०० ०६४
दूरभाषः ०३३-३३४०८५४, ३३४७५५३(का.)

आन्ध्र-प्रदेश
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केन्द्रीय सदन, □द्वतीय तल, ए ब्लॉक ,
सुल्तान बाजार, हैदराबाद-५००१९५
दूरभाषः ०४०-२४६५७४४६, २९७३१६३६, २४७३१६३७

अरुणाचल प्रदेश
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवहाटी-७८१ ००९
दूरभाषः ०३६१-५४५२५६ (का.)

असम
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवहाटी-७८१ ००९
दूरभाषः ०३६१-५४५२५६ (का.)

बिहार
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
नगीना निकेतन ए.एन. कालिज के सामने,
बोरिंग रोड, पटना-८०० ०१३
दूरभाषः ०६१२-२६६६९१ (का.)

चंडीगढ़
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-९ ए,
चंडीगढ़-१६० ०४७
दूरभाष: ०१७२-७४३२०१ (का.)

छत्तीसगढ़
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
३३, आनन्द नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)
दूरभाष: ०७७१-२४४६०३० (का.)

दादर एवं नगर हवेली
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, तृतीय तल,
न्यू मैरिन लाइन्स,
मुम्बई-४०० ०८०
दूरभाष: ०२२-२०३६८०१, २०३२६९९ (का.)

दमन एवं दीव
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, तृतीय तल,
न्यू मैरिन लाइन्स,
मुम्बई-४०० ०८०
दूरभाष: ०२२-२०३६८०१, २०३२६९९ (का.)

दिल्ली
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
४/२०, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली
दूरभाष: ०११-२३२६४६३५, २३२७७२९५ (का.)

गुजरात
वरिष्ठ विपणन विकास अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
१, इन्द्रप्रस्थ सोसायटी, प्रथम तल,
गांधी ब्रिज के पास,
शाहपुर, अहमदाबाद-३८० ००४
दूरभाष: ०७९-५६६०९६५ (का.)

गोवा
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
राजा सनसिटी, मारगोवा,
ए.पी.एम.सी., बीयर फैक्ट्री के पास,
गोवा-४०३ ७२०
दूरभाषः ०८३२-३१४९४३, ५१७२९१ (आ.)

<u>हरियाणा</u>
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-९ ए,
चंडीगढ़-१६० ०४७
दूरभाषः ०१७२-७४३२०१ (का.)

<u>हिमाचल प्रदेश</u>
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-९ ए,
चंडीगढ़-१६० ०४७
दूरभाषः ०१७२-७४३२०१ (का.)

<u>जम्मू-कश्मीर</u>
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
६१, ए, क्षक्ष एक्सटेंशन, गांधीनगर,
जम्मू-तवी-१८० ००४
दूरभाषः ०१९१-४५०४७८ (का.)

<u>झारखंड</u>
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
मुख्य टर्मिनल मंडी यार्ड,
परदरा, रांची-४
दूरभाषः ०६५१-२५१२५९७

<u>केरल</u>
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केरल राज्य को-आपरेशन बैंक बिल्डिंग,
ओवर ब्रिज जंक्शन, तम्पानूर,
तिरुवनन्तपुरम-६९५ ००१
दूरभाषः ०४७१-४७११३४ (का.)

<u>कर्नाटक</u>
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

एम.जी. कॉम्पलैक्स, ए.पी.एम.सी.,
यशवन्तपुर, बंगलौर-५६० ०८०
दूरभाष: ०८०-३४७३००४

लक्षद्वीप

वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केरल राज्य को-आपरेशन बैंक बिल्डिंग,
ओवर ब्रिज जंक्शन, तम्पानूर,
तिरुवनन्तपुरम-६९५ ००१
दूरभाष: ०४७१-४७११३४ (का.)

महाराष्ट्र

उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, तृतीय तल,
न्यू मैरिन लाइन्स,
मुम्बई-४०० ०८०
दूरभाष: ०२२-२०३६८०१, २०३२६९९ (का.)

मध्य प्रदेश

उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
८७, मालवीय नगर,
भोपाल-४६२ ००३
दूरभाष: ०७५५-५५१८४७ (का.)

मणिपुर

सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवाहाटी-७८१ ००९
दूरभाष: ०३६१-५४५२५६ (का.)

मेघालय

विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
खेर मालकी रोड, धानखेरी,
शिलांग-७९३ ००१
दूरभाष: ०३६४-२५०३०१७ (का.)

मिजोरम

सहायक कृषि विपणन सलाहकार,

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवाहाटी-७८१ ००९
दूरभाषः ०३६१-५४५२५६ (का.)

नागालैंड

सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवहाटी-७८१ ००९
दूरभाषः ०३६१-५४५२५६ (का.)

उड़ीसा

विपणन अधिकारी,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
प्लाट नं०-५७०, सत्यनगर,
भुवनेश्वर-७५१ ००७
दूरभाषः ०६७४-५०३८२९ (का.)

पांडिचेरी

उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
शास्त्री भवन, चौथा तल,
छठा ब्लॉक, २६ हाडस रोड,
चेन्नई-६०० ००६
दूरभाषः ०४४-८२७१७३८, ८२७८०६५ (का.)

पंजाब

सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-९ ए,
चंडीगढ़-१६० ०४७
दूरभाषः ०१७२-७४३२०१ (का.)

राजस्थान

उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
५८, मानसिंहपुरा, टोंक रोड,
जयपुर ।
दूरभाषः ०१४१-५१३३०० (का.)

सिक्किम

उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
सामान्य पूल कार्यालय भवन,
चौथा तल, ए विंग, डी.एफ. ब्लॉक,
सेक्टर-१, साल्ट लेक,
कोलकाता-७०० ०६४
दूरभाष: ०३३-३३४०८४५, ३३४७५५३ (का.)

<u>तमिलनाडु</u>
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
शास्त्री भवन, चौथा तल,
छठा ब्लॉक, २६ हाडस रोड,
चेन्नई-६०० ००६
दूरभाष: ०४४-८२७१७३८, ८२७८०६५ (का.)

<u>त्रिपुरा</u>
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
लाखर भवन, तृतीय तल,
कालीराम चौधरी रोड,
भरालमुख, गुवहाटी-७८१ ००९
दूरभाष: ०३६१-५४५२५६ (का.)

<u>उत्तर-प्रदेश</u>
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
२९-ए/१, जपलिंग रोड,
लखनऊ-२२६ ००१
दूरभाष: ०५२२-२०७३५७ (का.)

<u>उत्तरांचल</u>
सहायक कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
कम्प्यूटर रुम, ए.पी.एम.सी. निरंजनपुर,
देहरादून ।
दूरभाष: ०१३५-२५२०२५३ (का.)

<u>पश्चिम बंगाल</u>
उप कृषि विपणन सलाहकार,
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
सामान्य पूल कार्यालय भवन,
चौथा तल, ए विंग, डी.एफ. ब्लॉक,
सेक्टर-१, साल्ट लेक,
कोलकाता-७०० ०६४

दूरभाषः ०३३-३३४०८४५, ३३४७५५३ (का.)
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ।

श्री हर प्रसाद, उप कृषि विपणन सलाहकार
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन०एच०-४, फरीदाबाद-१२१ ००१
दूरभाषः ०१२९-२४१२८३५ (टेलीफैक्स)
०१२९-२४२७०४७
ई-मेलः har.prasad@nic.in

श्री एस० के० पात्रा,
महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,
प्लाट नं०सी-२४, जी. ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा ईस्ट,
मुम्बई-४०० ०५१
दूरभाषः ०२२-२६५३९४०६
फैक्सः ०२२-२६५३००९१
ई-मेलः nabicd@vsnl.com

डा० एम०एस० जयरथ,
फेकल्टी मेम्बर,
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान,
कोटा रोड, बम्बाला, सांगनेर के पास,
जयपुर-३०३ ९०६
दूरभाषः ०१४१-२७७०५८९
०१४१-२७७०६१४
फैक्सः ०१४१-२७७०५८९
०१४१-२७७००५१
ई-मेलः msjairath@lycos.com

सुश्री ए०के०चक्रवर्ती
मुख्य निदेशक,
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम,
४, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास,
नई दिल्ली-११० ०४९
दूरभाषः ०११-२६५३७१०६
फैक्सः ०११-२६९६२३७३०,२६५१६०३२
ई-मेलः cdplan@ncdc.stpn.soft.net